हुक्म	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा फतेह सिंह बनाम लेण्ड होल्डर	हुक्म के ... में जारी हुए
28.02.17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं लेण्ड होल्डर के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि सायल को आराजी खसरा नंबर 2820 में से रकबा 1.15 हेक्टर भूमि आबंटित की गई थी। जिसका कब्जा पटवारी हल्का द्वारा दे दिया गया था एवं पट्टा उप जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रदान कर दिया गया। दिनांक–19.06.89 को कब्जा देने के दिनांक से ही सायल का उक्त आराजी पर बतौर गैरखातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने सायल को दिनांक 28.09.13 को बताया कि खसरा नंबर 2820 रकबा 2.30 हेक्टर संपूर्ण रकबा सिवायचक में दर्ज है और पटवारी हल्का ने सायल को बेदखल करने की धमकी दी है। इस आबंटन को हुये 24 वर्ष का समय गुजर चुका है। नियमानुसार सायल उक्त भूमि का खातेदार हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला दावा सायल की भूमि खसरा नंबर 2820 के जुज रकबा 1.25 हेक्टर ग्राम श्यारोली से सायल को बेदखल नहीं करें। लेण्ड होल्डर के प्रतिनिधि नायब तहसीलदार का कथन है कि सायल का बतौर गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हुआ है एवं न ही सायल का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। भूमि खसरा नंबर 2820 रकबा 2.30 हेक्टर सिवायचक में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत् 2069–72 के अनुसार खसरा नंबर 2820 रकबा 2.30 हेक्टर सिवायचक लगानी दर्ज है। सायल द्वारा इस भूमि पर कब्जा होने संबंधी प्रथम दृष्टया कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार हमारी विनम्र राय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक–28.02.17 को सरे इजलास सुनाया गया। (मुनिदेव यादव) सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट	

Scanned by CamScanner